

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2419, 2420, 2421, 2422 एवं 2423/2016.....जिला.....जयपुर...

उनवान – मैसर्स राशि पेरिफेरल्स प्रा.लि., औद्योगिक क्षेत्र 22 गोदाम जयपुर बनाम् 1. अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, जयपुर 2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापंचन, राजस्थान वृत द्वितीय, जयपुर।

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	---------------------------------	--

25/11/2016

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

श्री राजीव चौधरी, सदस्य

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री पंकज घीया एवं विभाग की ओर से श्री डी.पी.ओझा, उप-राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

यें पांचों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों के अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.11.2016 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25, 55, 61 एवं 65 के तहत कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्रों को आंशिक स्वीकार किया, जिसके विरुद्ध यह पांच अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों के अधिनियम की धारा 38(4) सपटित धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है। समस्त अपीलों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक-पृथक रखी जा रही है।

अ.सं.	कर नि. वर्ष	अपी.अधिकारी की अपील सं.	अपी. अधि. के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि	अ.अधि. द्वारा स्थगित राशि	कर बोर्ड के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि
1	2	3	4	5	6
2419/16	11-12	अ.प्रा.-II/स्थ/अ.स. 294	25,64,799	14,20,930	11,43,849
2420/16	12-13	अ.प्रा.-II/स्थ/अ.स. 295	27,20,183	15,58,844	11,61,339
2421/16	13-14	अ.प्रा.-II/स्थ/अ.स. 296	20,94,347	12,42,936	8,51,411
2422/16	14-15	अ.प्रा.-II/स्थ/अ.स. 297	63,38,924	39,00,876	24,38,048
2423/16	15-16	अ.प्रा.-II/स्थ/अ.स. 298	51,27,553	32,76,392	18,51,161

अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.11.2016 से आंशिक स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह पांचों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

विद्वान अंभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्रों को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेशों में अंकित नहीं किया है। अपीलार्थी द्वारा कम्प्यूटर, कम्प्यूटर पार्टस एवं एसेसरीज आदि का कारोबार किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधियों में External Hard Disk, जो कि एक Data Storage Device है, USB Port के रूप में काम आता है तथा अधिनियम की शिड्यूल IV के तहत @ 5 प्रतिशत कर दर पर विक्रय किया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट शिड्यूल V के तहत 14/14.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए अपने आदेशों द्वारा अन्तर कर, ब्याज व शास्तियों का आरोपण किया है। अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम की धारा

मदन लाल
25/11/16

→

लगातार.....2


25 / 11 / 2016


61 के तहत आरोपित शास्तियों की वसूली एक वर्ष या अपील निर्णय दोनों में से जो भी पहले हो, तक स्थगित रखी है तथा शेष बकाया मांग राशियों को स्थगित नहीं किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेशों में अंकित नहीं किया है। चूंकि उनके द्वारा बिक्रीत वस्तु शिड्यूल IV पार्ट ए की प्रविष्टि संख्या 3 के अन्तर्गत Peripherals है जिस पर कर दर 5/5.5 प्रतिशत है परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने External Hard Disc को Peripherals नहीं मानकर अनुचित आदेश पारित किया है। अतः उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग राशियों के संबंध में प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशियों की वसूली अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपीलों के निस्तारण तक रोक लगाने की प्रार्थना की गयी।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेशों दिनांक 16.11.2016 का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया एवं तर्क दिया कि विक्रीत वस्तु कम्प्यूटर के अलावा टीवी, म्यूजिक सिस्टम तथा सीसीटीवी कैमरे में भी प्रयुक्त हो सकता है अतः उक्त वस्तु शिड्यूल V से शासित होगी। इस प्रकार उचित तौर पर सृजित मांग राशि की वसूली के रोक पर प्रस्तुत पांचों अपीलों मय स्थगन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया, अपीलीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों में External Hard Disk की बिक्री पर 5/5.5 प्रतिशत की दर से कर चुकाया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 14/14.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए अपने आदेशों द्वारा अन्तर कर, ब्याज व शास्तियों का आरोपण किया है। अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्तियों की वसूली पर एक वर्ष या अपील निर्णय दोनों में से जो भी पहले हो, तक स्थगित रखी है तथा शेष बकाया मांग राशियों को स्थगित नहीं किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेशों में अंकित नहीं किया है। चूंकि इन प्रकरणों में External Hard Disk की बिक्री पर कर दर विवादित है शिड्यूल IV पार्ट ए की प्रविष्टि संख्या 3 एवं 28 के अवलोकन के पश्चात चूंकि प्रकरण वर्तमान में अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित है, अतः प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अपीलार्थी के विरुद्ध बकाया मांग राशियों (उपरोक्त तालिका का कॉलम नं. 6) की वसूली योग्य शेष राशि को इस शर्त पर स्थगित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप जमानत 15 दिवस में प्रस्तुत करेगा। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इन पांचों प्रकरणों में नियमित सुनवाई करते हुये इन आदेशों की प्राप्ति के दो माह के भीतर अपीलों का गुणावगुण के आधार पर विधिक निष्पादन करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत समस्त पांचों अपीलों का निस्तारण किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया।


सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
जयपुर


सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड